वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग–2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या. CG-060/2016

7. परियोजना/स्कीम का स्थान – **765 के.व्ही. डबल सर्किट झारसुगुडा(सुन्दरगढ) रायपुर विद्युत पारेषण लाईन**

(i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र – **छत्तीसगढ़**

(ii) जिला – **रायगढ**

(iii) वन प्रभाग – **रायगढ**

(iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे.)–

आरक्षित वन –23.580 हे0.
संरक्षित वन –13.636 हे0
नांरगी वन – 1.608 हे0
राजस्व वन – 20.355 हे0
योग :– 59.179 हे0

(v) वन की कानूनी स्थिति

आरक्षित वन,संरक्षित वन,नांरगी वन एवं राजस्व वन क्षेत्र

(vi) हरियाली का घनत्व

हरियाली का औसत घनत्व 0.2 से 0.6 है.।

(vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल., एफ.एफ. आर.एल.–2मी. पर परिगणना और एफ.आर.एल. 4 मी.भी संलग्न की जाए।

प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाईन निर्माण हेतु परिधिवार, प्रजातिवार , वृक्षों (साल,साजा,हलदु,बीजा, कुसुम, चार, धावडा आदि प्रजाति) की परिगणना संलग्न है।

(viii) भू–क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।

आवेदित वन भूमि की मृदा वग्रीकरण कठोर लाल मिटटी है, क्षेत्र की भौगौलिक संरचना समतल एवं पहाडी है तथा वनस्पति से आच्छादित है, अतः भू–क्षरण से संवेदनशील नहीं है।

(ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी। **क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण बिलासपुर वनमण्डल के अन्तर्गत नांरगी वन क्षेत्र में लिया गया है।**

(X) क्या फार्म राष्ट्रीय उघान, वन्यजीव अभ्यारण, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियॉ अनुबंधित की जाए)

आवेदित क्षेत्र राष्ट्रीय उघान, वन्यजीव अभ्यारण, जैव मण्डल रिजर्व, हाथी कारीडोर, आदि के अन्तर्गत का वन क्षेत्र नहीं है।

(xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विषिष्ट प्रजातियॉ पाई जाती है यदि हॉ/तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।

प्रजाति			स्थिति		
क्र.	स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम	दुर्लभ	संकटापन्न	विशिष्ट
1.	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

(xii) क्या कोई सुरक्षित पुरात्तवीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेंत्र में स्थित है। यदि हॉ तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।

आवेदित क्षेत्र तथा उसके आस–पास में सरंक्षित पुरात्तवीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और अन्य महत्वपूर्ण स्मारक स्थल नहीं है। प्रमाण पत्र (संलग्न है।)

8. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवष्यकता परियोजना के अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नही ंतो, जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हों, दें।

रायगढ वनमण्डल के अंतर्गत 765 के.व्हीं. डबल सर्किट झारसुगुडा(सुन्दरगढ) –रायपुर विघुत पारेषण लाईन निर्माण के लिए प्रभावित वन एवं राजस्व वन भूमि 59.179 हेक्टेयर .अपरिहार्य और न्यूनतम है। विकल्पों पर तुलनात्मक विवरण (संलग्न है।)

9. क्या अधिनियम के उल्लघंन में कोई कार्य किया गया है। (हॉ/नहीं) यदि हॉ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लघंन संबंधी कार्य चल रहें है।

कोई उल्लघंन का कार्य नहीं किया गया है।

10. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा

बिलासपुर वनमण्डल के अंतर्गत नारंगी वन क्षेत्र में 144.181 हे0 प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम लिया गया है।

संलग्न है।

(i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या प्रत्येक भू–खण्ड का आकार।

प्रतिपूरक वनीकरण नारंगी वन क्षेत्र में निम्नानुसार लिया गया है।

क्रं	वन परिक्षेत्र	नांरगी वन खण्ड का नाम	कुल रकबा (हे0)	क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तावित रकबा (हे0)
1	रतनपुर	सीष(अ)	13.990	8.000
		सीष(ब)	10.138	10.138
		जाजीराडीह	44.373	23.000
		आमामुडा	49.750	20.000
		कलमीटार	40.043	40.043
		घासीपुर	60.377	43.000
		योग	**218.671**	**144.181**

(ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वन क्षेत्र और आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।

संलग्न है।

(iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।

दस वर्षीय सिचिंत प्रतिपूरक वनीकरण योजना संलग्न है। योजना पर वर्ष. 2017–18 से 2026–27 तक कुल रूपये 7,86,74,324.00 का व्यय अनुमानित है। योजनान्तर्गत मुख्यतः सागौन प्रंजातियों के पौधे रोपित किये जावेंगें। कार्य वन विभाग द्वारा किया वनपरिक्षेत्र अधिकारी रतनपुर (सामान्य) के द्वारा करवाया जाना प्रस्तावित है।

(iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।

7,86,74,324.00/–.संलग्न है।

(v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए।)

प्रतिपुरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तत के संबध में उपयुक्त्ता प्रमाण पत्र संलग्न है।

11. उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (xi,xii), 8 एवं 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्षाते हुए (संलग्न करें।)

उप वन संरक्षक रायगढ वनमण्डल का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 26.04.2017 संलग्न है।

12. विभाग/जिला प्रोफाईल

(i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र

रायगढ जिले का भौगोलिक क्षेत्र = 6836.00 वर्ग कि.मी।

(ii) जिले का वन क्षेत्र

रायगढ जिले का वन क्षेत्र = 1111.83 वर्ग कि.मी।

(iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र।

संख्याः– 51 रकबाः–3154.972 हेक्टेयर।

(iv) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरकः

(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि।

.....निरंक.....

(ख) वनेत्तर भूमि पर।

.....निरंक.....

(V) तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगतिः

रायगढ वनमण्डल के अंतर्गत कुल स्वीकृत क्षेत्र 3154.972 हे0 है। जिसके विरूद्ध 1592.130 हे. क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य किया गया है। शेष क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य प्रगति पर है।

13. प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सबंधं में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश

- Avifauna हेतु विशेष कार्य किया जाना आवश्यक है।
- प्रस्ताव स्वीकृत करने योग्य है।

दिनांकः— 26/4/2017

हस्ताक्षर

वन मण्डलाधिकारी
रायगढ़ वनमण्डल

स्थान रायगढ़

नाम विजया सि. कुर

(सरकारी मोहर)